चंद्रभाई के. भोयर और अन्य।

बनाम

कृष्णा अर्जुन भोयर और अन्य।

(2008 की अपील सं. 6575/2008)

07 नवंबर, 2008

(एस. बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जे. जे.)

उत्तराधिकार अधिनियम 1925. धारा 302. प्रयोज्यता. वसीयती न्यायालय का क्षेत्राधिकार. पार्टियों के बीच समझौता जिसके द्वारा वसीयत की शर्तों में बदलाव (परिवर्तन किया गया, लागू करना, आयोजित) वसीयत की शर्तों को एक समझौते के संदर्भ में बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. एक प्रोबेट जब प्रदान किया जाता है तो पूरी दुनिया को बांधता है. यह लोक लक्षी निर्णय है. इसलिए निष्पादक को वसीयतकर्ता की संपत्ति का प्रबंधन वसीयत के अनुसार करना होगा न कि पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर. वसीयत की शर्तों और समझौते के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में वसीयत ही मान्य होगी. पार्टियों द्वारा और उनके बीच किए गए ऐसे समझौते की समाप्ति का प्रभाव एक स्वतंत्र मुकदमे में दर्ज किया जाना आवश्यक है न कि धारा 302 के तहत कार्यवाही में। धारा 302 के प्रावधानों के अंतर्गत वसीयती, न्यायायलय किसी अनुबंध को

केवल अनुबंध की हैसियत से केवल इसलिए लागू नहीं कर सकता क्योंकि निष्पादक उसमें एक पक्षकार है. यह केवल वसीयत की शर्तों को लागू कर सकता है समझौते की शर्तों को नहीं। रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत, क्षेत्राधिकार के बिना पारित आदेश की प्रयोज्यता, माना गयारू ऐसा आदेश अमान्य होगा. यह कानून की नजर में गैर, न्यायिक और गैर.स्थायी कोरम होगा. रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत ऐसे पर लागू नहीं होंगे मामले, रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत. क्षेत्राधिकार के बिना पारित आदेश की प्रयोज्यता. माना गया ऐसा आदेश अमान्य होगा. यह कानून की नजर में गैर न्यायिक और रेस ज्यूडिकाटा होगा रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत ऐसे मामलों पर लागू नहीं होंगे।

उत्तरदाता वसीयत के तहत वसीयतदार थे। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उत्तरदाताओं ने उक्त वसीयत के संबंध में प्रोबेट देने के लिए आवेदन दायर किया। अपीलकर्ताओं ने उस पर एक कैविएट दायर की जिसके अनुसार एक मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। उक्त मुकदमे में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसके द्वारा वसीयत की शर्तों को बदल दिया गया। इसके बाद कैविएट वापस ले ली गई।

1992 में पार्टियों के बीच पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से एक समझौता भी किया गया था। जिसमें अपीलकर्ता अपना हिस्सा उत्तरदाताओं को 19 लाख रुपये में बेचने के लिए सहमत हुए और उत्तरदाताओं को अपीलकर्ताओं के हिस्से सहित पूरी संपत्ति विकसित करने की अनुमति दी

गई। पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गयाण् अपीलकर्ताओं ने दिनांक 26.11.1998 को नोटिस द्वारा उक्त समझौते को रद्द कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 जो उक्त वसीयत का निष्पादक था ने चैंबर समन निकाला। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने वसीयतनामा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए चैंबर सम्मन की अनुमति दी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसे बरकरार रखा। इसलिए तत्काल अपील की गयी।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 302 तत्काल मामले में लागू नहीं थी क्योंकि पार्टियों के अधिकार और दायित्व इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समझौते की शर्तों द्वारा शासित होते थे कि निपटान की शर्तों पर अदालत के आदेश के कारण या अन्यथा वसीयत अपरिवर्तित रहेगी और यह कि विकास समझौता जो पार्टियों के बीच एक अनुबंध था को अपने वसीयती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया किः

1.1. वसीयत के संबंध में प्रोबेट दिया जाता है। वसीयत के अनुसार वसीयतकर्ता की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक निष्पादक को नियुक्त किया जाता है। वसीयत को आम तौर पर वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासित किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता क्रमांक 1 को एक कैविएटर चाहिए। उन्होंने अपना कैविएट

वापस ले लिया जिसे अदालत ने दिनांक 11.02.1993 के आदेश के संदर्भ में देखा। प्रोबेट बिना किसी शर्त के प्रदान किया गया। हालाँकि सहमति शर्तों का खंड 1 अस्पष्ट था। वसीयत की शर्तों को समझौते की शर्तों के अनुसार बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी या असंगत होंगे। [पैरा 15 और 16], [664-एफ, जी, एच; 665-ए]

1.2. एक प्रोबेट जब प्रदान किया जाता है तो पूरी दुनिया को बांध देता है। यह रेम में एक निर्णय है, इसलिए निष्पादक को वसीयतकर्ता की संपत्ति का प्रबंधन वसीयत के अनुसार करना होगा न कि पार्टियों के बीच हुए अनुबंध के आधार पर जो कि असंगत होगा। वसीयत की शर्तें वसीयत और समझौते की शर्तों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में पूर्व ही मान्य होगा। इस प्रकार अदालत उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 302 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए केवल वसीयत की शर्तों को लागू कर सकती है। समझौते की शर्तों को नहीं। [पैरा 17], [665-ए, बी]

1.3. हालाँकि यह अनुबंध समझौते समझौता निपटान की शर्तों का हिस्सा है लेकिन इसे केवल एक संपार्श्विक दस्तावेज़ के रूप में माना जा सकता है। पारिवारिक व्यवस्था का एक कथित समझौता जो प्रभाव और सार में एक विकास समझौता है डिक्री देने का हिस्सा नहीं बन सकता है। बेशक 19,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान अपीलकर्ताओं द्वारा

निष्पादक को उपरोक्त राशि के लिए संपत्ति में अपना हिस्सा खरीदने की अनुमति देने के विचार में किया जाना था। इस प्रकार भुगतान की शर्तें भी तय हो गई थीं। निष्पादक द्वारा अपीलकर्ता को भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद है। [पैरा 18] [665-सी, डी, ई]

1.4. उत्तरदाताओं के अनुसार गैर भुगतान का प्रभाव समझौते के खंड 5 द्वारा शासित होता है जिसके अनुसार भुगतान न की गई राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय तिथि से भुगतान की तारीख तक लगाया जा सकता है। अर्जित ब्याज के साथ जो संपत्ति पर एक शुल्क होगा। उक्त अनुबंध पंजीकृत नहीं है। क्या ऐसे प्रावधान के कारण वैध शुल्क बनाया जा सकता है यह अलग प्रश्न होगा। लेकिन तथ्य यह है कि चाहे सही हो या गलत उक्त समझौता समाप्त हो गया। पार्टियों द्वारा और उनके बीच किए गए ऐसे समझौते की समाप्ति का प्रभाव एक स्वतंत्र मुकदमे में दर्ज किया जाना आवश्यक है न कि अधिनियम की धारा 302 के तहत कार्यवाही में। अधिनियम की धारा 302 के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए वसीयती न्यायालय अनुबंध की हैसियत में एक अनुबंध को केवल इसलिए लागू नहीं कर सकता कि निष्पादक उसका एक पक्षकार है। क्या ऐसी प्रार्थना अधिनियम की धारा 302 के अन्तर्गत पोषणीय थी, इस निचली अदालत द्वारा हटाया नहीं गया है। [पैरा 19] [665-एफ, जी, एच; -666-ए, बी]

2. यह निवेदन कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय दिनांकित 22.11.2005 प्रांग न्याय(तमे रनकपबंजं) की तरह प्रभावी होगा, मानने योग्य नहीं है। यह कहना एक बात है कि अधिनियम की धारा 302 के तहत एक आवेदन विचारणीय होगा लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि क्या कारण से चैंबर समन में प्रतिवादी नंबर 1 को एकमात्र निष्पादक के रूप में आरोपित किया जाना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर था। इस प्रकार उक्त मुद्दा अंतिम रूप नहीं ले सका। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से क्षेत्राधिकार के बिना पारित आदेश अमान्य होगा। यह कोरम नॉन ज्यूडिस होगाण् कानून की नजर में इसका अस्तित्व नहीं है। ऐसे मामलों पर न्यायिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। इस प्रकार यदि अधिनियम की धारा 302 इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में शामिल नहीं थी तो प्रांगन्याय के सिद्धांत भी लागू नहीं होंगे। यदि समझौता वसीयत का हिस्सा नहीं था धारा 302 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। [पैरा 20, 21, और 22], [664-ए, डी; ई, एफ, जी],

आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एल.वी.ए. दीक्षितुलु (1979) 2 एससीसी 34 भारत संघ बनाम प्रमोद गुप्ता (2005) 12 एससीसी 1 और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य बनाम नीरज कुमार सिंह (2007) 2 एससीसी 481 का आधार लिया।

प्रतिवादी संख्या 1 के दो कार्यों के बीच अंतर है एक वसीयत के निष्पादक के रूप में और दूसरा विकासकर्ता के रूप में जहां कि निष्पादक

के रूप में उसकी कार्यवाही वसीयती न्यायालय के निर्देश के अधीन है। एक डेवलपर के रूप में उसकी कार्रवाई अदालती निर्देश के अधीननहीं है कोई निष्पादक या ट्रस्टी उसे ऐसी स्थिति में नहीं रखेगा जिसमें उसके व्यक्तिगत हित और वसीयत के कर्तव्य एक दूसरे के विरोध में आएँ। वसीयती अदालत को वसीयत को प्रभावी बनाना चाहिए न कि निष्पादक और तीसरे पक्ष के बीच कोई समझौता जो कि वसीयतकर्ताओं की इच्छाओं के लिए न्यायिक दृष्टांत संदर्भ के विपरीत होगा। [पैरा 23] [666-ए, बी]

केस कानून संदर्भरू

(1979) 2 एससीसी 34 पर निर्भर था

पैरा 21

(2005) 12 एससीसी 1 पर निर्भर था

पैरा 21

(2007) 2 एससीसी 481 पर निर्भर था

पैरा 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 6575/2008

1986 के टीएस नंबर 33 और 2006 के सीएस नंबर 54 1986 के टीपी नंबर 613 और 2006 के एफओ नंबर 889 में औरंगाबाद में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 5.2.2007 से।

शेखर नफाडे एसआर मिश्रा विमल चंद्र एस दवे एसएन अपीलकर्ताओं की ओर से ैण्छण् सिंह और नीलम कलसी।

प्रतिवादियों की ओर से रंजीत कुमारए संतोष पॉल आंचल जैन अरविंद गुप्ता एमण्जेण् पॉल यशवर्धन दिवेकर और के राजीव।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा जे. 1. स्वीकृति प्रदान की गई।

2. इस अपील में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ;संक्षेप में अधिनियम की धारा 302 का प्रश्न है जो उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित 5.02.2007 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुआ है। 2006 की अपील संख्या 889 में बॉम्बे में।

3. मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है।

एक कान्हा बारिक म्हात्रे ने 8.09.1963 को या उसके आसपास एक वसीयत निष्पादित कीय वसीयतकर्ता यहां उत्तरदाता हैं। 6.08.1974 को उनका निधन हो गया।

उक्त वसीयत के संबंध में प्रोबेट देने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। अपीलकर्ताओं ने उस पर एक कैविएट दायर की जिसके अनुसार एक मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। उक्त मुकदमे में पार्टियों द्वारा और उनके बीच एक समझौता किया गया

थाय अन्य बातों के साथ.साथ ये शर्तें हैं

''1. पक्षकारों द्वारा आज निष्पादित समझौते के अनुसार अपने विवादों का निपटारा कर लिया गया है।

2. पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि यद्यपि याचिकाकर्ता को बिना शर्तों के प्रोबेट प्रदान किया जाएगा, परन्तु वसीयत की शर्तें समझौते के अनुरूप बदली जा सकेगी। संलग्न अनुलग्नक 'अ'।

3. पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि यदि प्रोबेट समझौते अनुलग्नक की शर्तों के अनुसार बिना संशोधित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि पक्ष सहमत हैं और इस माननीय न्यायालय को वचन देते हैं कि उनके अधिकार और दायित्वों को अनुबंध अनुलग्नक 'अ' पूर्व की शर्तों द्वारा विनियमित किया जाएगा। 'ए' यहां कहा गया है और उक्त शर्तों पर एक आदेश की प्रार्थना की गई।

4. उपरोक्त समझौतों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए कैविएटर्स एण्ड कैविएटर्स अपनी कैविएट वापस लेते हैं।''

हालाँकि 2.12.1992 को या उसके आसपास दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से एक समझौता भी किया गया थाय इसके खंड 2, 3 और 5 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं।

2. पहले भाग की पार्टियाँ दूसरे भाग की पार्टी को पहले भाग की

पार्टी के हिस्से सहित पूरी संपत्ति विकसित करने की अनुमति देने पर सहमत हुई हैं और इसके अलावा दूसरे भाग की पार्टी को अपना हिस्सा 19.00.000 रुपये में बेचने के लिए भी सहमत हैं।

3. उक्त राशि का भुगतान इसके बाद बताए गए तरीके से किया जाना है

(ए) इन उपहारों के निष्पादन पर डेवलपर द्वारा रुण् 6,00,000 केवल छह लाख रुपयेद्ध का भुगतान किया जाएगा।

(बी) इन उपहारों के निष्पादन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर रु. 3,00,000 तीन लाख रुपये मात्र।

(सी) इन उपहारों के निष्पादन की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर रु. 3,00,000. (तीन लाख रुपये मात्र)।

(डी) इन उपहारों के निष्पादन की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर रु. 3,00,000 केवल तीन लाख रुपये।

(ई) इन उपहारों के निष्पादन की तारीख से 24 महीने की अवधि के भीतर रुण् 4,00,000. (केवल चार लाख रुपये)।

5. दूसरे भाग की पार्टी पहले भाग की पार्टी को उपर बताए अनुसार उक्त राशि का भुगतान करने हेतु सहमत हो तथा नियत तिथि पर भुगतान न की गई राशि के संबंध में भुगतान करने की 18 प्रतिशत

सालाना ब्याज दर से भुगतान करने हेतु सहमत है तथा भुगतान न की गई राशि तथा ब्याज की यहां उल्लेखित संपत्ति पर प्रभार होगी।

उक्त समझौते के पाठ भाग में निहित खंड 6 इस प्रकार है:

6. दूसरे भाग की पार्टी दहिसर में संपत्ति में पहले भाग की पार्टियों के हिस्से को स्वीकार करने के लिए सहमत है जो कि यहां अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है और आगे सहमत है कि पहले भाग के सभी पक्षों का कुल हिस्सा सहमति से है मूल्य 19,00,000 रुपये है और पहले भाग के पक्ष दूसरे भाग के पक्ष को शेयर सहित पूरी भूमि विकसित करने की अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। पहले भाग की पार्टियाँ जिसे वे दूसरे भाग की पार्टी या उसके नामांकित व्यक्तियों को 19,00,000 रुपये की सहमत कीमत पर बेचने के लिए तैयार हैं।"

4. निर्विवाद रूप से पूरी राशि रु. 19,00,000 का भुगतान नहीं किया गया। अपीलकर्ताओं ने दिनांक 26.11.1998 को एक कानूनी नोटिस भेजकर उक्त समझौते को रद्द कर दिया।

5. प्रतिवादी नंबर 1 यहां उक्त वसीयत का निष्पादक था। उन्होंने कथित तौर पर अधिनियम की धारा 302 के संदर्भ में एक चैंबर समन निकाला जिसमें अन्य बातों के साथ.साथ निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई

(ए) कि वादी को इस माननीय न्यायालय में वादी को मृतक कान्हा बारिक

की संपत्ति में से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 और 7 से 12 के हिस्से के लिए 13,78,422/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाए।

(बी) यह घोषित किया जा सकता है कि इस तरह की जमा राशि जमा करने पर वादी को मृतक कान्हा बारिक म्हात्रे की वसीयत के निष्पादक के रूप में अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 और प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का मृतक की संपत्ति में और विशेष रूप से संलग्न अनुसूची और चिह्नित प्रदर्शनी 'ए' में वर्णित अचल संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार शीर्षक और हित नहीं

(सी) उपरोक्त प्रार्थना खंड (ए) और (बी) के संदर्भ में विज्ञापन अंतरिम आदेश।"

6. उक्त चैंबर समन दिनांक 11.08.2005 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध एक अंतर न्यायालय अपील को प्राथमिकता दी गई जिसे 2005 की अपील संख्या 897 के रूप में चिह्नित किया गया था।

डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 22.11.05 के आदेश व निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया।

10. हमारे सामने यह विवादित नहीं था कि मृतक कान्हा बारिक म्हात्रे की वसीयत का प्रोबेट इस न्यायालय द्वारा 9 जुलाई 1998 को

वसीयतनामा और गैर-वसीयत क्षेत्राधिकार में दिया गया है। 9 जुलाई 1998 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए प्रोबेट में वर्तमान अपीलकर्ता को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 302 के तहत कान्हा बारिक म्हात्रे द्वारा निष्पादित वसीयत के लिए एकमात्र निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वसीयतकर्ता न्यायालय को मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति के संबंध में निष्पादक को कोई भी सामान्य या विशेष निर्देश देने का अधिकार देता है। प्रोबेट पहले ही दी जा चुकी है तथा यह मुद्दा कि क्या एकमात्र निष्पादक को चैंबर सम्मन ने निर्धारित राशि को जमा कराने के दायित्व से मुक्त किया जा सकता है, जैसा कि चैंबर समन में निर्धारित किया गया था निश्चित रूप से टेस्टामेंटरी कोर्ट के विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर था। सवाल यह नहीं है कि क्या चैंबर समन के समर्थन में हलफनामे में दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता को एकमात्र निष्पादक के रूप में बरी किया जा सकता था जिसे विद्वान चैंबर न्यायाधीश द्वारा देखा जाएगा। इसे यद्यपि चैंबर न्यायाधीश द्वारा नहीं देखा गया एवं चैंबर सम्मन की टेस्टामेंटरी कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए खारिज कर दिया। विद्वान चैंबर न्यायाधीश के दृष्टिकोण की सराहना नहीं की जा सकती। यह विद्वान चैंबर न्यायाधीश द्वारा निर्णीत किया जाना था कि क्या मृतक कान्हा बारिक म्हात्रे की वसीयत के एकमात्र निष्पादक को वसीयत के रूप में अपने दायित्वों से मुक्त किया जा सकता है क्योंकि यह केवल वसीयती

क्षेत्राधिकार में ही तय किया जा सकता है।

7. उक्त आधार पर अपील की अनुमति दी गई। आदेश दिनांक 11.08.2005 को रद्द कर दिया गया और मामले को चैंबर समन की नए सिरे से सुनवाई के लिए विद्वान चैंबर न्यायाधीश की अदालत में भेज दिया गया।

8. दिनांक 23.06.2006 के एक आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को उक्त चैंबर समन वापस लेने की अनुमति दी।

9. हालाँकि 13.07.2006 को 2006 की संख्या 54 वाला एक नया चैंबर समन निकाला गया था। प्रस्ताव के उक्त नोटिस में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के गठित वकील ने 28.08.2006 को एक हलफनामे में इसकी पुष्टि इस प्रकार की

".....मेरा कहना है कि 19 लाख रुपये के कुल प्रतिफल के मुकाबले 13.5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था और शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया था। मैं कहता हूं कि राशि का भुगतान तारीख से 24 घंटे के भीतर किया जाना था। समझौता। मैं कहता हूं कि समझौते की तारीख से 24 घंटे के भीतर यानी 2.3.1993 को पूरा भुगतान नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि राशि का भुगतान 1.3.1995 तक किया जाना था। मैं कहता हूं कि उक्त परिस्थितियों में मूल प्रतिवादियों ने अधिवक्ता के नोटिस दिनांक 26.11.1998 द्वारा बिक्री के लिए उक्त समझौते को समाप्त कर दिया

और वादी ने भी उक्त नोटिस दिनांक 21.12.1998 का उत्तर दिया.... ."

10. दिनांक 28.09.2006 के फैसले और आदेश के आधार पर वसीयती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि:

"इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा वसीयत को संशोधित किए बिना वसीयत का प्रोबेट प्रदान किया गया। लेकिन कैविएट वापस लेने के लिए पक्षों के बीच सहमत शर्तों को न्यायालय के आदेश का हिस्सा बना दिया गया। पार्टियों के बीच हुए समझौते का अवलोकन जिसका उल्लेख किया गया है। पक्षकारों द्वारा किए गए समझौते में उल्लेखित पक्षकारों के मध्य तय शर्तों के अवलोकन से याचिकाकर्ता द्वारा समझौते में वर्णित पक्षकारों को देय राशि का उल्लेख किया गया है। इस समझौते का खंड (5) उन पार्टियों की स्थिति से संबंधित है जो राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं यदि भुगतान करने में चूक करते हैं।"

उक्त चैंबर समन में विभिन्न निर्देश जारी करने की अनुमति दी गई जो इस प्रकार हैं:

"(i) याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों को उचित नोटिस के साथ आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर के पास चैंबर समन के प्रार्थना खंड (ए) में उल्लिखित राशि जमा करनी होगी।

(ii) यदि उत्तरदाता जमा की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर राशि की निकासी के लिए इस न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर के समक्ष आवेदन करते हैं तो इस न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर उन्हें राशि निकालने की अनुमति देंगे।

(iii) तुरंत जमा करने पर राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में निवेश किया जाएगा। यदि उत्तरदाता निकासी के लिए आवेदन करते हैं तो राशि का भुगतान उपार्जन यदि कोई हो के साथ किया जाएगा।

(iv) यदि उत्तरदाता छह महीने की अवधि के भीतर उचित अदालत में कार्यवाही करते हैं और उचित आदेश प्राप्त करते हैं तो राशि का निपटान सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार किया जाएगा।

(v) यदि न तो प्रतिवादी राशि की वापसी के लिए आवेदन करते हैं और न ही इस न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर को राशि के निपटान के संबंध में सक्षम न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त होता है तो इस न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर याचिकाकर्ता को उपार्जन के साथ राशि निकालने के लिए अनुमति देंगे।

11. अदालत के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर ने उत्तरदाताओं द्वारा दी गई प्रतिभूति को स्वीकार कर लिया।

दिनांक 28.09.2006 के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में की गई अपील आक्षेपित निर्णय के कारण खारिज कर दी गई है।

अतः हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नफाड़े ने उपस्थित होकर कथन किया किः

(I) अधिनियम की धारा 302 का हस्तगत मामले में कोई उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि पार्टियों के अधिकार और दायित्व इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समझौते की शर्तों द्वारा शासित होते हैं चूंकि न्यायालय के आदेश के अनुसार समझौते की शर्तों के अनुसार वसीयत अपरिवर्तित रहेगी।

(ii) विकास समझौता जो पार्टियों के बीच एक अनुबंध था अपने वसीयती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता था।

13. दूसरी ओर उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार का तर्क है कि सहमति की शर्तें मुकदमे में पारित डिक्री का हिस्सा थीं और उसके अनुसार निष्पादक को वसीयत का संचालन करना आवश्यक था अतः अधिनियम की धारा 302 लागू होगी।

इस सुस्थापित कानूनी सिद्धांत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कि प्रोबेट पूरी दुनिया के खिलाफ दिया जाता है यह तर्क दिया गया कि अनुबंध के तहत राशि का भुगतान न करने के परिणाम उसी में निर्धारित किए गए हैं जैसे ब्याज का भुगतान अधिनियम की धारा 302 के तहत आवेदन पोषणीय था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन संपत्ति वसीयत के अधीन है और समझौते के खंड 5 के कारण प्रोबेट के अनुदान को रद्द करने या अपीलकर्ताओं द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के अभाव में संपत्ति पर एक भार आरोपित किया गया है। डिक्री की पुनः पालना कराने या भार अधिरोपित करने के संबंध में अदालत द्वारा एक निर्देश अनिवार्य था। हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि-

अनुबंध की कथित समाप्ति 1998 में की गई थी अर्थात डिक्री पारित होने के पांच साल बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

यह तर्क दिया गया था कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में अधिनियम की धारा 302 के तहत कार्यवाही की स्थिरता को बरकरार रखने वाले डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया था और उसे अंतिम रूप दे दिया गया था अब उक्त प्रश्न पर एक बार फिर से विचार नहीं किया जा सकता है।

14. अधिनियम की धारा 302 इस प्रकार हैरू

"302 - निष्पादक या प्रशासक को निर्देश

जहां किसी संपत्ति के संबंध में प्रोबेट या प्रशासन पत्र इस अधिनियम के तहत दिए गए हैं या दिए गए हैं उच्च न्यायालय उसके आवेदन पर संपत्ति

के संबंध में या उसके प्रशासन के संबंध में निष्पादक या प्रशासक को कोई सामान्य या विशेष निर्देश दे सकता है।

15. वसीयत के संबंध में प्रोबेट प्रदान किया जाता है। वसीयतकर्ता की संपत्ति को उसकी शर्तों के अनुसार प्रशासित करने के लिए एक निष्पादक को नियुक्त किया जाता है। वसीयत को आम तौर पर वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासित किया जाना चाहिए।

16. यहां अपीलकर्ता क्रमांक 1 एक कैविएटर था। उन्होंने अपना कैविएट वापस ले लिया जिसे अदालत ने दिनांक 11.02.1993 के आदेश के संदर्भ में देखा। प्रोबेट बिना किसी शर्त के प्रदान किया गया।

हालाँकि सहमति शर्तों का खंड 1 अस्पष्ट प्रतीत होता है। वसीयत की शर्तों को समझौते की शर्तों के अनुरूप कैसे बदला या परिवर्तित किया जा सकता है यह समझ से परे है। दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी या असंगत होंगे।

17. एक प्रोबेट जब प्रदान किया जाता है तो पूरी दुनिया को बांध देता है। यह लोक लक्षी निर्णय है इसलिए निष्पादक को वसीयतकर्ता की संपत्ति का प्रशासन वसीयत के अनुसार करना होगा न कि पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर जो कि वसीयत की शर्तों के साथ असंगत होगा। इच्छा। वसीयत और समझौते की शर्तों के बीच किसी भी टकराव की

स्थिति में पूर्व ही मान्य होगा। इस प्रकार अदालत अधिनियम की धारा 302 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए केवल वसीयत की शर्तों को लागू कर सकती है समझौते की शर्तों को नहीं।

18. यद्यपि समझौता निपटान की शर्तों का हिस्सा है लेकिन इसे केवल एक संपार्श्विक दस्तावेज़ के रूप में माना जा सकता है। पारिवारिक व्यवस्था का एक कथित समझौता जो प्रभाव और सार में एक विकास समझौता है प्रोबेट देने वाले डिक्री का हिस्सा नहीं बन सकता है।

स्वीकृत रूप से, निष्पादनकर्ताओं द्वारा अपीलकर्ताओं को संपत्ति में अपना हिस्सा खरीदने की अनुमति देने के बदले 19,00,000/- रुपये का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार भुगतान की शर्तें भी तय हो गईं थीं। निष्पादक द्वारा अपीलकर्ता को भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद है।

19. उत्तरदाताओं के अनुसार गैर भुगतान का प्रभाव समझौते के खंड 5 द्वारा शासित होता है जिसके अनुसार भुगतान न की गई राशि पर 18ः की दर से देय तिथि से भुगतान की तारीख तक ब्याज लगाया जा सकता है। अर्जित ब्याज के साथ राशि जो संपत्ति पर एक शुल्क होगी। उक्त अनुबंध पंजीकृत नहीं है। क्या ऐसे प्रावधान के कारण वैध शुल्क बनाया जा सकता है यह अलग प्रश्न होगा। लेकिन तथ्य यह है कि चाहे सही हो या गलत उक्त समझौता समाप्त हो गया। पार्टियों द्वारा और उनके बीच किए गए ऐसे समझौते की समाप्ति का प्रभाव एक स्वतंत्र मुकदमे में दर्ज किया

जाना आवश्यक है, न कि अधिनियम की धारा 302 के तहत कार्यवाही में। अधिनियम की धारा 302 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वसीयतनामा न्यायालय अनुबंध के लिए अनुबंध लागू नहीं कर सकता हैय केवल इसलिए कि निष्पादक उसमें एक पक्ष है। प्रस्ताव की सूचना में की गई प्रार्थनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि निष्पादक ने अपने विरुद्ध निर्देश की मांग की थी। ऐसी प्रार्थना अधिनियम की धारा 302 के संदर्भ में विचारणीय है, नीचे की अदालतों द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था।

20. श्री रंजीत कुमार का यह कहना कि उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच का दिनांक 22.11.2005 का निर्णय प्रांगन्याय है स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कहना एक बात है कि अधिनियम की धारा 302 के तहत एक आवेदन विचारणीय होगा, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि क्या चैंबर समन के कारण, प्रतिवादी नंबर 1 के द्वारा एकमात्र निष्पादक के रूप में कार्य किया गया होगा, यह प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

21. इस प्रकार हमारी राय में उक्त मुद्दा अंतिम रूप तक नहीं पहुंच सका। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से क्षेत्राधिकार के बिना पारित आदेश अमान्य होगा। यह कोरम नॉन ज्यूडिस होगाण् कानून की नजर में यह गैर स्थायी है। ऐसे मामलों पर न्यायिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एल.वी.ए देखें। दीक्षितुलू (1979) 2 एससीसी 34 भारत संघ बनाम प्रमोद गुप्ता (2005)

12 एससीसी 1 और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य बनाम नीरज कुमार सिंह (2007) 2 एससीसी 481,

22. इस प्रकार यदि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 302 लागू नहीं होती तो प्रांगन्याय के सिद्धांत भी लागू नहीं होंगे। यदि समझौता वसीयत का हिस्सा नहीं था तो हमारी राय में धारा 302 लागू नहीं होगी।

23. समझौते की समाप्ति में देरी के प्रभाव के संबंध में उत्पन्न प्रश्न पर विचार किया जाना भी हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हालाँकि हमें प्रतिवादी नंबर 1 के दो कार्यों के बीच अंतर करना चाहिए एक वसीयत के निष्पादक के रूप में और दूसरा विकासकर्ता के रूप में। जबकि एक निष्पादक के रूप में उसकी कार्रवाई वसीयतनामा अदालत के निर्देश के अधीन है एक डेवलपर के रूप में उसकी कार्रवाई नहीं है। कोई निष्पादक या ट्रस्टी उसे ऐसी स्थिति में नहीं रखेगा जिससे उसके व्यक्तिगत हित और वसीयत के तहत उसके कर्तव्य एक दूसरे के विरोध में आएँ। वसीयती अदालत को वसीयत को प्रभावी बनाना चाहिए न कि निष्पादक और तीसरे पक्ष के बीच कोई समझौता जो वसीयतकर्ता की इच्छाओं के विपरीत होगा।

24. उपरोक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाती है खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

डी.जी. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिना परिहार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।